कानकुन सम्मेलन में भारत की भूमिका : एक विश्लेषण

प्रवेश कुमार पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक
श्री गुरूनानक महिला महाविद्यालय
जबलपुर, म. प्र.

सारांश

जिस प्रकार व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं एकाकी रहकर नहीं कर सकता उसी प्रकार कोई भी राष्ट्र विकास एकाकी रहकर नहीं कर सकता है। परस्पर निर्भरता विकास के लिए अनिवार्य है। आज का युग परस्पर निर्भरता का युग है। व्यापार आयात एवं आर्थिक सम्बन्धों की चाहत आज के युग की प्राथमिकता है। वर्तमान युग बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था पर आधारित है और समस्त राष्ट्र इसी बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को राष्ट्र के विकास का आधार बनाया है। बल्कि यादि हम यह कहें कि राष्ट्र के विकास का आधार बाजार है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। और इसी बाजार के सफल संचालन के लिए अतंर्राष्ट्रीय संस्थाओं यथा–गैट, विश्व व्यापार संगठन अतंर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए भारत जैसे विश्व के समस्त विकासशील राष्ट्रों ऐसी संस्थाओं में अपनी आस्था प्रकट करता है। भारत कानकुन सम्मेलन में सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त विकासशील राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कर्ता बना। कानकुन सम्मेलन में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्य शब्दः आर्थिक निर्भरता, बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था, गैट, विश्वव्यापार संगठन, भूमण्डलीकरण, उदारीकरण,निजिकरण, सब्सिडी, कृषि अनुबंध, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद, तकनीकी हस्तांतरण

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध पत्र कानकुन सम्मेलन में भारत की भूमिकाः एक विश्लेषण में भारत ने किस प्रकार कानकुन सम्मेलन में अपनी भूमिका निभाई है इसका विश्लेषण प्रस्तुत करना है। भारत द्वारा विकासशील राष्ट्रों का नेतृत्व कर्ता के रूप में विकसित राष्ट्रों की हठधर्मिता का विरोध, विकसित राष्ट्रों की मनमानी का विरोध करना है। साथ ही भारत किस प्रकार गैट तथा विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी इन सबका विश्लेषण करना है।

आंकड़ों का स्रोत

आंकडो का स्रोत द्वितीयक होगा, मुख्य रूप से, उपलब्ध साहित्य, पत्र–पत्रिकाऐं जैसे–इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, थर्ड कॉन्सेप्ट, कुरूक्षेत्र, योजना, रचना, तथा विश्व व्यापार संगठन से सम्बन्धित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी अभिलेखों से प्राप्त साहित्यों के माध्यम से इस शोध पत्र का विश्लेषण किया जाएगा।

उपकल्पना :

1 भारत गैट तथा विश्व व्यापार संगठन जैसे अतंर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़कर अपने विकास का आधार तय किया है।
2 विश्व व्यापार संगठन के तमाम विषयों पर भारत द्वारा सहमति एवं असमति दर्ज कराई है।
3 विकासशील राष्ट्रों के नेतृत्व कर्ता के रूप में भारत की भूमिका।
4 भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव।
5. भूमण्डलीकरण, उदारीकरण एवं निजिकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।

शोध प्रविधि

प्रस्तृत शोध पत्र में विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा तथा विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं की यर्थाथता तथा क्रियाविधि का भी विश्लेषण करना है। विश्व व्यापार संगठन में भारत की क्या भूमिका रही है प्रस्तृत शोध पत्र में विश्लेषण किया जाएगा। जिसके लिए द्वितीयक स्रोतों को अपनाया जाएगा।

पूर्व साहित्य अवलोकन चौहान, संदीप, गैट टू डब्लयू. टी. ओ., गाँधियन अल्टरनेटिव टू न्यू इण्टरनेशनल इकोनॉमिक आर्डर, दीप एवं दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002. संदीप चौहान द्वारा लिखित इस पुस्तक में किस

प्रकार गैट का स्वरूप निर्धारित किया गया, गैट का स्वरूप क्या था, विश्व व्यापार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी थी, साथ ही साथ ब्रेटन वुड व्यवस्था का भी विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक में गैट किस प्रकार विश्व व्यापार का रूप धारण किया और खासकर गैट सम्मेलनों का भी विश्लेषण किया गया है।

इस पुस्तक में महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था, विश्व बाजार व्यवस्था, नई अतंर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा अतंर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को महात्मा गाँधी जी के दृष्टिकोण से देखने का तथा विश्लेषण का प्रयास किया गया है।

कृष्णा, दया, गोल्डन एज टू ग्लो वलाइजेशन 7000 इयर्स ऑफ इण्डियन इकोनामी, टाइम्स प्रेस, नई दिल्ली, 2002. दया कृष्णा द्वारा लिखित इस पुस्तक में भारत की ऐतिहासिक व्यापार व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था, कृषि, उद्योग, विदेशी व्यापार, विदेशी पूंजी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे अनेक विषयों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है साथ ही साथ भारत द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं उसकी क्रियाशीलता का विश्लेषण किया गया है। भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं से जुड़कर उससे होने वाले प्रभावों का भी विश्लेषण किया गया है। भारत द्वारा अपनायी गई विश्व अर्थव्यवस्था, भूमण्डलीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण जैसी प्रक्रियाओं का भी विश्लेषण किया गया है।

एस.भण्डारी, वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन (WTO) एण्ड डेवलपिंग कंटरीज, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन,नई दिल्ली, 2002. भण्डारी द्वारा लिखित इस पुस्तक में विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था तथा विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों का विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं से जुडाव एवं उनसे होने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया है। प्रस्तुत पुस्तक में गैट के सम्मेलन तथा विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलनों का भी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारत किस प्रकार विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलनों में अपना पक्ष रखा तथा कहाँ तक उन पर अमल किया गया इसका भी विश्लेषण किया गया है।

के. रत्नेश, WTO स्ट्रक्चर फँक्सन, टास्क एण्ड चेलेन्जेंज, प्रस्तुत पुस्तक में के. रत्नेश द्वारा विश्व व्यापार संगठन की संरचना, कार्यप्रणाली, सदस्य देश सिद्धान्त आदि विषयों का विश्लेषण किया है। इस पुस्तक में विभिन्न विषयों जैसे– पूंजी निवेश, कृषि, व्यापार, सेवाक्षेत्र, सब्सिडी, पारदर्शिता, कॉपीराइट, पेटेण्ट, ट्रेडमार्क आदि विषयों पर सारगर्भित सार प्रस्तुत किया है। भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन से जुड़ना, व्यापार करना, इन सभी विषयों पर सहमति एवं असहमति का विश्लेषण किया है। विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न सम्मेलनों (सिंगापुर,जेनेवा, दोहा, सिब्टल, कानकुन, हाँगकांग) का विश्लेषण किया है। भारत की इन सम्मेलनों में क्या भूमिका रही है। इसका भी विश्लेषण किया गया है।

वासुदेव, पी.के., इण्डिया एण्ड डब्लयू टी ओ. प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट, ए.पी.एच, पब्लिशिंग,नई दिल्ली, 2003. प्रस्तुत पुस्तक पी.के. वासुदेव द्वारा लिखित है। जिसमें इन्होंने विश्व व्यापार संगठन का ढाँचा, कार्यप्रणाली, क्षेत्र, व्यापार, सदस्य राष्ट्र, आदि विषयों का विश्लेषण किया है। साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका का विश्लेषण किया है। भारत द्वारा अपनाई गई उदारीकरण, भूमण्डीकरण तथा निजिकरण जैसी प्रक्रियाओं को किस प्रकार स्वीकार किया तथा इनसे होने वाले प्रभावों का भी विश्लेषण किया है। विकसित एवं विकासशील राष्ट्रो के मध्य चले आ रहे अन्तर के कारणों की चर्चा की गई है। और विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलनों में भारत की क्या भूमिका रही है। किन विषयों पर भारत ने अपनी सहमति व्यक्त की एवं किन विषयों पर असहमति व्यक्त की इसका भी विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

विश्व व्यापार संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1930 की विश्व व्यापी मंदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास अस्त–व्यस्त हो गया था और विभिन्न देशों ने अपने– अपने हितों की रक्षा के लिए आयात –निर्यात का सहारा लेना प्रारम्भ कर दिया था। इस आर्थिक मंदी से उभरने के लिए नवम्बर 1945 में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा रोजगार के विस्तार के उद्देश्य से अनेक राष्ट्रों के द्वारा प्रस्ताव प्रकाशित किए गए। अंततः 30 अक्टूवर 1947 को जेनेवा (स्विटजरलैण्ड) में 23 देशों द्वारा सीमा शुल्कों से सम्बन्धित एक सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए इसी समझौते को ''गैट'' (General Agrement on Trade and Tarrif) के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1948 से लागू हुआं प्रारम्भ में गैट की स्थापना एक अस्थायी प्रबन्ध के रूप में की गई थी किन्तु कालान्तर में यह एक स्थायी समझौता बन गया । गैट का मुख्यालय जेनेवा में था, 1947 से 1994 तक गैट के कुल आठ सम्मेलन हुए, आठवाँ सम्मेलन 1986 से 1994 तक चला जिसे ऊरूग्वे दौर के नाम से जाना जाता है। इस दौर की विभिन्न बैठकें माट्रियल, जेनेवा, ब्रुशेल्स्, टोक्यो, अनेसी, में सम्पन्न हुई, जिसमें गैट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल को इस समस्या के समाधान का दायित्व सौंपा गया।

20 दिसम्वर 1991 को आर्थर डंकल ने नए सिरे से सदस्य देशों के सामने आपसी सहमति के लिए एक विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किया और सदस्य राष्ट्रों को सहमति देने की बात कही, सदस्य देशों द्वारा इसे 15 दिसम्वर 1993 को जेनेवा में स्वीकृति प्रदान की गई। 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के माराकश शहर में 123 सस्दयों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। इस प्रकार ''गैट''' को अलविदा कह दिया गया तथा ''गैट'' के स्थान पर 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आ गया।

1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आये विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन के बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा सकती है। सदस्य राष्ट्रों के द्वारा अपनी आस्था एवं विश्वास के साथ विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मौका मिला।

विश्व व्यापार संगठन के बनने के बाद अनेक देश तत्काल प्रभाव के साथ इसमें शामिल हो गए। इसका

मुख्यालय स्विटजरलैण्ड के जेनेवा नगर में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन के जन्म के साथ विश्वव्यापी आर्थिक सहयोग के नए युग की शुरूआत हुई जिसमें सदस्य देशों की एक न्यायोचित और अधिक खुली बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में अपने लाभ और हित साधन के लिए कार्य की व्यापक भावना परिलक्षित होती है। विश्व व्यापार संगठन के जन्म की घोषणा इन शब्दों में की गयी–यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो विश्व अर्थव्यवस्था को प्रबल करेगी और सारी दुनिया में अधिक व्यापार, अधिक पूंजी निवेश, अधिक रोजगार अधिक आय के अवसर पैदा करेगी।

विश्व व्यापार संगठन और भारत

भारत 1948 के गैट के संस्थापक सदस्यों में से एक था और विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के बाद इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने सदैव ही इन संस्थाओं में अपनी आस्था प्रकट करता आ रहा है। चुंकि भारत साहित तमाम विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का आधार विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाऐं ही हैं जिनके माध्यम से व्यापार व्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकती है। ऐसा विषय विशेषज्ञों का मानना है।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है भारत प्रारम्भ से ही गैट की वार्ताओं से जुड़ा रहा। परन्तु विकासशील देश हमेशा गैट समझौतों के पक्षपातपूर्ण रवैये के विरूद्ध रहे हैं। इसलिए भारत एवं अन्य विकासशील देश हमेशा इस व्यवस्था को समाप्त करके स्थाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाने के पक्षधर थे। इसी मांग को देखते हुए 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक समिति का गठन किया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधि भी सम्मिलित था, इस सामीति ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) संस्था के गठन का सुझाव दिया तथा इसे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश की थी ताकि इसे अमेरिकी कांग्रेस के बीटो से मुक्त रखा जा सके। 1964 में अंकटाड की स्थापना की गयी थी।

अंकटाड जैसी संस्था बनने के बाद विकासशील देश (समूह 77) अपने–अपने हितों के लिए जोर देने लगे। भारत के प्रयत्नों के फलस्वरूप अंकटाड का महत्व बढ़ता गया और जी. 77 एवं जी. 7 के देशों को प्रदान की गई रियायतों में मतभेद रहा और इसी का फायदा विकसित राष्ट्रों ने उठाना शुरू कर दिया।

गैट एवं विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से उत्पन्न हुए गतिरोधों को दूर करने के लिए भारत एवं अन्य विकासशील राष्ट्रों द्वारा अथक प्रयत्न किया गया। लेकिन ये गतिरोध और बढ़ते गए। गैट एवं विश्व व्यापार संगठन के सभी सम्मलनों में विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के बीच खांई और भी गहरी होती चली गई। इस खांई को, मतभेद को अन्तर को कम करना ही विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य रहा है।

कानकुन सम्मेलन और भारत

विश्व व्यापार संगठन का पाँचवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कानकुन में सम्पन्न हुआ, मैक्सिको की राजधानी कानकुन में 10 सितम्वर से 14 सितम्वर, 2003 तक आयोजित पाँचवे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का मुख्य ऐजेण्डा वर्ष 2001 में हुए दोहा विकास एजेण्डे की वार्ता को आगे बढ़ाने की दृष्टि से क्रियान्व्यन की समीक्षा करना तथा सर्वसम्मत राय बनाने के लिए सार्थक प्रयास करना था। कानकुन सम्मेलन में मंत्रियों को विचार विमर्श, निर्णय एवं सहमति के लिए जो मसौदा दिया गया, उसमें दोहा विकास घोषणा के प्रति वचनबद्धता दोहराते हुए 1 जनवरी 2005 तक ट्रिप्स एवं जनस्वास्थ्य, कृषि अनुबंध गैर कृषि उत्पादों तक बाजार पहुँच, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद, व्यापार सुविधाऐं, लघु अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऋण एवं वित्त, व्यापार तथा तकनीक हस्तांतरण आदि मुलभूत विषयों पर पूर्ण सहमति की दृष्टि से काम करना था।

1999 के सिएठल सम्मेलन की भांति विश्व व्यापार संगठन का पाँच दिन का कानकुन सम्मेलन भी बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ। कृषि सबिसिडी के मामलों में अमेरिका एवं यूरोपीय संघ के अडियल रवैये तथा सिंगापुर मुद्दे (विदेशी निवेश, प्रतिस्पर्धा, व्यापार सुविधा, एवं सरकारी खरीदी में पारदर्शिता) पर बातचीत शुरू करने के मामले में विकासशील देशों के कड़े प्रतिरोध के चलते ही कानकुन सम्मेलन विफल रहा। भारत, ब्राजील, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में विकासशील देशों के समूह–जी 21 ने अमीर देशों में कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए जोरदार तरीके से सम्मेलन में यह स्थापित किया कि अमीर देशों द्वारा किसानों को प्रदत्त करोड़ों डॉलर की सब्सिडी के चलते ही कृषिगत उपजों के वैश्विक बाजार में मूल्य नीचे स्तर पर बने रहते हैं ।

भारत तथा अन्य विकासशील देशों द्वारा इसका घोर विरोध किया गया और सम्मेलन में गतिरोध बना रहा।

सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण

विश्व व्यापार संगठन की पाँचवीं मंत्रिस्तरीय बैठक 10 सितम्वर, 2003 से 14 सितम्वर 2003, तक कानकुन में सम्पन्न हुई। साठ सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व कर रहे वाणिज्य मंत्री अरूण जेठली ने कानकुन पहुँचते ही कहा कि विकसित देशों में उच्च घरेलु सर्मथन और निर्यात सबिसिडी के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत कम हैं, जिनका नुकसान विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा हैं। अरूण जेठली का कहना था कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के रवैये के चलते भारत जैसे विकासशील देशों को अतंर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में दिक्कतों का सामना करने के अलावा, किसानों को उत्पादों की उचित कीमतें भी नहीं मिल पाती है।

वाणिज्य मंत्री ने अमेरिकी व्यापार मंत्री ज्योतिक तथा यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त पास्कल लेमी और कानकुन सम्मेलन के अध्यक्ष एवं मैक्सिको के विदेश मंत्री लुईस ए दरवेज के साथ हुई बैठक में भी भारत के कठोर रूख से उन्हें अवगत करा दिया। जेठली ने इन नेताओं से दो टूक शब्दों में कह दिया कि यदि यूरोपीय संघ और अमेरिका ने कृषि सबिसिडी कम नहीं की तो भारत इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा।

विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के एक दिन पहले इस बात के संकेत मिल गए थे कि भारत को अपना रूख नरम करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ का दबाव था। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई और अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज वुश के बीच टेलीफोन पर जो बातचीत हुई उसमें इराक में भारतीय फौज भेजने के अलावा, विश्व व्यापार संगठन में भारतीय दृष्टिकोण का मामला भी था। वस्तुतः पिछले दिनों कृषि व्यापार के

उदारीकरण मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के संयुक्त प्रस्ताव के जवाब में चौदह विकासशील देशों ने जो वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किया उससे विकसित देशों के खेमों में खलबली मच गई।

बाजपेई और बुश की बातचीत के बाद विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों को यह आशा थी कि भारत उनका साथ देगा पर वाणिज्य मंत्री अरूण जेठली ने उनसे साफ कहा कि भारत अपने रूख में नरमी लाने को तैयार नहीं है।

कानकुन में कृषि के अतंराष्ट्रीय व्यापार का मुद्दा सबसे अहम् मसला था और कृषि सब्सिडी के मुददों ने विकसित और विकासशील देशों के बीच मोर्चाबंदी का रूख ले लिया अमेरिका और यूरोपीय संघ का दवाब था कि विकासशील देश अपने यहाँ खेती पर सब्सिडी कम करें और साथ ही आयात शुल्क भी घटाएँ। इस दबाव के पीछे दरअसल उनकी मंशा विकासशील देशों के विशाल कृषि बाजार पर कब्जा करने की थी, यही कारण है कि वे विकसित देश, विकासशील देशों पर तो खेती पर अनुदान कम करने के लिए दवाब डालते हैं, लेकिन अपने किसानों की रोजाना लगभग सौ करोड़ डॉलर की सब्सिडी दे रहे हैं। अमेरिका दोहा के बाद कृषि अनुदानों को कम करने की माँग दोहराता रहा है, पर उसने अपने यहाँ खेती पर सब्सिडी को अस्सी प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए पिछले साल एक विधेयक पारित किया। अपने कृषि अनुदानों में कटौती से बचने के लिए अमेरिका ने ग्रीन बॉक्स और ब्लूबॉक्स जैसे प्रावधान कर रखें हैं, जिनके तहत अनुदान को विश्व व्यापार में बाधक नहीं माना जाता। इसके अलावा विकसित देश कृषि पर निर्यात सब्सिडी भी देते हैं। जानकारों का मानना है कि इस असमान और पाखंडपूर्ण व्यवस्था में यह आशा नहीं की जा सकती कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार में विकासशील देशों के किसानों के हितों की रक्षा हो सकेगी। इसका एक ज्वलंत उदाहरण कपास है जिस पर अमेरिकी सहमति के कारण अफ्रीका के कपास उत्पादक किसान तबाही के कगार पर पहुँच गए हैं। कानकुन सम्मेलन में कपास के मसले पर अफ्रीकी देशों की एकजुटता देखने को मिली।

विकासशील देशों द्वारा कृषि सब्सिडी के मामले पर बातचीत करने के लिए सिंगापुर मद्दों पर वार्ता की शर्त जोड़ने के लिए अजीज ने यूरोपीय संघ की आलोचना की और कहा कि अगर यूरोपीय संघ ऐसा करता है, तो यह उसकी स्वार्थपरता होगी। मलेशिया के व्यापार मंत्री सफीदाह अजीज ने कहा कि सिंगापुर मामले पर बातचीत को आगे बढ़ाने की वकालत वाले देशों की संख्या काफी कम है ओर वे लोग ऐसे मामले पर जोर देंगें जहाँ सर्वाधिक देशों के विचार मिलतें है। इस अवसर पर भारत के वाणिज्यमंत्री अरूण जेठली के अलावा अन्य विकासशील देशों के व्यापार मंत्री भी अजीज के साथ मौजूद थे।

इस बीच विश्व व्यापार संगठन की कानकुन बैठक में कृषि व्यापार पर भारत, ब्राजील एवं अन्य विकासशील देशों के साथ पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान ने 12 सितम्बर को कानकुन में कहा कि वह इस मुद्दृदे पर विकासशील देशों के साथ है। भारत एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा कानकुन बैठक में उठायी गयी कड़ी आपत्तियों का सीधा उल्लेख न करते हुए पाकिस्तान के वाणिज्यमंत्री हुमायूँ अख्तर खान ने इस्लामिक देशों के सदस्यों की बैठक में कहा कि विकसित देशों को कृषि सब्सिडी खत्म करना चाहिए। उन्होंने इस बारे में कानकुन बैठक में विकासशील देशों द्वारा उठाए गये आपत्तियों को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे विकासशील देशों के विकास के लिए काफी अहम है।

अंततोगत्वा विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन के चौथे दिन 13 सितम्बर को भारत की अगुवाई वाले समूह–21 को जर्बदस्त कामयाबी तब मिली जब विकासशील देशों की तमाम आपत्तियों को संशोधित मसौदे में शामिल कर लिया गया। एक ओर जहाँ कृषि मुद्दे पर भारत ने अपनी जीत दर्ज करा दी, वहीं सिंगापुर मुद्दे (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद एवं व्यापार सुविधा) पर समूह–15 को थोड़ा झटका लगा। कानकुन बैठक के सिलसिले में वहाँ पहुँचे भारत के उद्योगपति जिसमें फिक्की, सी.आई.आई. के प्रतिनिधि शामिल थे।

इस प्रकार भारत की चतुराई, दक्ष और सफल नेतृत्व ने न सिर्फ भारत की बल्कि विकासशील देशों की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय जगत में सशक्त किया और पहली बार विकसित राष्ट्रों की इस मनोवृत्ति पर अंकुश लगाया कि विकासशील राष्ट्रों के लिए विकसित राष्ट्रों द्वारा बनाए गए मसौदे को विकासशील राष्ट्र स्वीकार नहीं करेंगे। अतः विश्व व्यापार संगठन का कानकुन सम्मेलन बिना किसी नतीजे पर पहुँचे समाप्त हो गया।

दोहा सम्मेलन का अनुकरण करते हुए भारत ने जी–21 के विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने की पहल की, ताकि विकासशील देशों की भावनाओं की बेरोक–टोक अभिव्यक्ति हो सके। वाणिज्यमंत्री अरूण जेटली ने 10 सितम्बर 2003 को सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विकासशील देशों में किसानों को उन्नत देशों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए दी जा रही सब्सिडी के स्तर एवं प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान विकासशील देशों के द्वारा विकसित देशों के निर्यात में वृद्धि दर, अन्य विकासशील देशों को किए गए निर्यात की तुलना में लगभग आधी थी। ओ.ई.सी.डी. सरकारें चीनी उत्पादकों को प्रतिवर्ष 640 करोड़ डॉलर की सहायता देती हैं, जो कि सभी विकासशील देशों के निर्यात के लगभग बराबर है। विकसित देशों में कई उत्पादकों को पिछले वर्ष 370 करोड़ डॉलर की सब्सिडी दी गयी जो उस देश द्वारा अफ्रीका को दी गयी विदेशी सहायता की तीन गुना है। ओ.ई.सी.डी. द्वारा दी गई कृषि सब्सिडी उनके द्वारा सभी विकासशील देशों को दी जाने वाली औपचारिक विकास सहायता के छः गुना से भी अधिक है।

अतंतः कानकुन सम्मेलन की विफलता वस्तुतः विकासशील देशों की सफलता है। सम्मेलन की समाप्ति पर यूरोपीय संघ के आयुक्त पास्कल लेमी ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन संकीर्ण सोच वाला संगठन बनकर रह गया है और अब इसके निर्णय लेने के तरीकों में फेरबदल की आवश्यकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉवर्ट जोएलिक ने भी अपनी निराशा व्यक्त की। निष्कर्षतः विकसित देशों की झुंझलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि प्राथमिकताओं में मतभेद होने के बाद भी पहली बार विकासशील देशों ने मिलकर

आवाज उठाई और यह आवाज असरदार साबित हुई तथा सम्पन्न राष्ट्रों का एकाधिकार टूटा। और इस प्रकार सम्पन्न देशों द्वारा सामूहिक और पृथक तौर पर विकासशील देशों के अर्थतन्त्र पर राजनीति और समाज पर प्रभुत्व जमाने की महत्वाकांक्षाओं को प्रत्यक्ष चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

सम्मेलन की उपलब्धियाँ

कानकुन सम्मेलन पाँच दिन चला जिसमें उपलब्धियों के नाम पर कम्बोडिया तथा नेपाल को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनाया गया जिससे सदस्य देशों की संख्या 146 हो गई। सामान्य कौंसिल के इस निर्णय पर सहमति हो पाई कि गरीब देशों द्वारा सस्ते मूल्यों पर जेनेटिक दवाइयाँ आयात की जा सकेंगीं। वार्ता में गतिरोध पहले से ही आ गया था, कपास के मुद्दे पर 4 अफ्रीकी देशों के प्रस्तावों पर विचार किया गया। मंत्रिस्तरीय वार्ता, विचार–विमर्श के बाद नए संसोधित ऐजेण्डे को चेयरमैन द्वारा सहमति के लिए रखा गया तथा यह धमकी दी गई कि वार्ता का गतिरोध नहीं टूटा तो समूची अर्थव्यवस्था तथा व्यापारिक प्रणाली के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, परन्तु सर्वसहमति के अभाव में कानकुन सम्मेलन बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गया।

निष्कर्ष

मैक्सिको के खूबसूरत शहर कानकुन में विश्व व्यापार संगठन का पाँचवा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। बैठक में सम्पूर्ण मानवता, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के उपदेश देने वाली पश्चिमी समाज के भूख, उत्पीड़न, बीमारी और अन्याय से जूझ रहे अरबों गरीब लोगों के प्रति दायित्व बोध से पूरे विश्व को अवगत कराने का बेहतरीन मौका था। लेकिन विकसित राष्ट्रों की चाल के कारण यह सफल न हो सका। विकासशील देश समानता के व्यवहार की माँग करते हैं, तो पश्चिमी समाज की प्रतिनिधि सरकारें, धन और धान्य की अधिकता से परेशान कुछ करोड़ नागरिकों की समृद्धि बचाए रखना,गरीबी मिटाने से अधिक जरूरी समझती हैं। पश्चिमी सभ्यता का यह दोहरापन विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में बारम्बार उभर कर सामने आता है और सूचना तकनीक के विस्तार ने विकसित देशों के दोगलेपन की यह तस्वीर मंत्रणा कक्षों से बाहर निकालकर दुनिया के कोने–कोने तक पहुँचा दी हैं। पश्चिमी देशों द्वारा एशिया और अफ्रीका का शोषण कई शताब्दियों से चला आ रहा है, लेकिन द्विस्तरीय संधियों के कारण उनकी लूट विश्वव्यापी बेचैनी पैदा नहीं कर पायी, परन्तु अपने पूँजिवादी ढाँचे के विस्तार हेतु पैदा किए गए उपक्रम अब उनके लिए जी का जंजाल बनते जा रहे हैं। विज्ञान और तकनीक का विकास, औद्योगिकरण के विस्तार के लिए आवश्यक था किन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विश्वव्यापी प्रसार, उनकी साम्राज्यवादी मंशाओं के आड़े आ रहा है। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद विस्तृत बाजारों की तलाश में लगे विकसित देशों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गैट और तदुपरांत विश्व व्यापार संगठन का ढ़ाचा खड़ा किया, लेकिन एक दशक पूरा होने से पहले ही यह ढाँचा उनके गले में हड्डी की तरह फँस गया है। 21वीं शताब्दी बदलाव का युग लेकर आयी है 2001 में दोहा और 2003 में कानकुन विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा गति और दर्शन को प्रभावित करने में मील का पत्थर साबित हुआ। विकासशील देशों को बहला–फुसलाकर, दवाब डालकर अथवा डरा–धमकाकर अपने लिए लाभप्रद बहुस्तरीय व्यापार समझौते लागू करवाना, विकसित देशों के लिए अब पहले जैसा आसान नही रहा।

संदर्भ ग्रंथ

1. गंगवाल, सुभाष, W.T.O. एवं भारत चुनौतियाँ एवं अवसर, मंगलदीप पब्लिकेशन, जयपुर, 2003
2. शर्मा, देवेन्द्र, गैट टू डब्लू टी ओ सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1998.
3. पाण्डेय, रामनरेश, विश्व व्यापार संगठन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, एटलांटिक पब्लिर्सस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2004
4. दुबे, धर्मेन्द्र, वौद्धिक सम्पदा अधिकार, स्वदेशी पत्रिका,नई दिल्ली,1998.
5. भारद्वाज, रामदेव, भारत और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, हिन्दी, ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 2003
6. शर्मा, भगवती प्रसाद, विश्व व्यापार संगठन, स्वदेशी पत्रिका, नई दिल्ली, 1997.
7. Panchmukhi , V.R.,Brahamananda, Development process of Indian Economy, Himalaya Publishing House, Bombey, 1997.
8. Sharma G.K., W.T.O. Fight Ministerial Confrence at Concun: India Steals the show, Yojana Nov. 2003.
9. शर्मा, देवेन्द्र, फिर ठगे गए विकासशील देश, स्वदेशी पत्रिका, नई दिल्ली, अगस्त 2004.
10. आचार्य, विद्यानन्द, दबाव में हुआ समझौता, स्वदेशी पत्रिका, नई दिल्ली, अगस्त, 2004.
11. Dasgupta, Biplab,Structural Adjustment Global Trade and the New Political Economy of Development, Calcutta University, 2004.
12. Frieduman,E., Economic Law, Oxford University Press, New York, 2003.
13. Hart, M., World Trade Organization, Cambridge University Press, Washington, 2003.
14. Amorim,C., Commentary, The Real Cancun, Class Work, Busadm. Mu. Edu, 2003.
15. The Hindu, Delhi, 11 Sept. 2003, P-8.
16. Times of India, New Delhi, 12 Sep-2003, P-15.
17. http: //pv.org/sp/Z-e/ cancun.htm.
18. http: //www.ipv.org/sp/z-e/cancun.htm..
19. http:/www.WTO.org/English/tratop-e/agric-e/nigoti-modthe-modthnc july 03-e.htm.
20. Sullivan,Pauline m. and Jikyeong Kang, WTO fifth ministrial Confrence at Cancun, Econimic and Political Weekly, May 2003,P-200.
21. http://www.CSe.iitb.ac.in/page 88.
22. उपाध्याय,विक्रम, आर्थिक शक्तियों का टकराव, स्वदेशी पत्रिका, नई दिल्ली, अक्टूबर, 2003.
23. Mathu,Archana, The Concun Summitd at a Glance, Yojana., Nov, 2003.
24. Third Concept, Sept. 2002, P-9-10.